मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2647 स्था/प्रनिबो/2023

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु ई.डब्ल्यू.एस. (महिला) वर्ग से चयनित सुश्री आयुषी असाटी पुत्री श्री रामकुमार असाटी को वेतनमान रूपये 5200–20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300–80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, सागर में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–सी 3–15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन कमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2648 स्था/प्रनिबो/2023

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री आयुषी असाटी पुत्री श्री रामकुमार असाटी, 116, हनुमान मंदिर गली नं. 2, 5 सिविल लाईन, जिला - सागर (470001) मोबाईल 8349604879 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल